

कार्यालय – उत्तर प्रदेश फार्मसी काउन्सिल, लखनऊ।

(पता- द्वितीय तल, लेखराज मार्केट-2, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226012)

पत्रांक:-यू.पी.पी.सी. / 4657

लखनऊ, दिनांक:-06/06/2022

-कार्यालय ज्ञाप-

उत्तर प्रदेश फार्मसी काउन्सिल मैनुअल कार्य प्रणाली को आनलाइन पंजीयन हेतु आवेदनकर्ताओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय में व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर अपने अभिलेखों की स्कूटनी, एवं फार्मसी योग्यता सम्बन्धी प्रपत्रों पर मोहर लगाने की पूर्व प्रचलित व्यवस्था को जनहित में तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

समस्त आवेदक आवेदन के सापेक्ष पंजीयन या अन्य प्रदान की जा रही सेवाओं की स्थिति अपनी लाग-इन आईडी के माध्यम से काउन्सिल की वेबसाइट uppc.in पर स्वतः देख सकते हैं।

यह आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ/अध्यक्ष, उ०प्र० फार्मसी काउन्सिल के अनुमदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(निदेशक, पैरोमेडिकल / रजिस्ट्रार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें /
उ० प्र० फार्मसी काउन्सिल।

पत्रांक:-यू.पी.पी.सी. /

तददिनांक:-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-7

2-स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

3-वैयक्तिक सहायक, निदेशक(पैरोमेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।

4-विशेष कार्याधिकारी, उ०प्र०फार्मसी काउन्सिल, लखनऊ।

5-समस्त कर्मचारी, कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को अनुपालनार्थ।

6-मेसर्स एम.एस. एडवरटाइजिंग, लालबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को 02 दैनिक समाचार पत्र हिन्दी एवं अग्रेजी समाचार पत्र (साइज 2X3 इन्च) में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं इस कार्य में होने वाले व्यय के बीजक समाचार पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में सलग्न कर कार्यालय का प्रस्तुत करें।

7-गार्ड फाइल।

8-सूचना पट पर चस्पा हेतु।

(निदेशक, पैरोमेडिकल / रजिस्ट्रार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें /
उ० प्र० फार्मसी काउन्सिल।

कार्यालय उत्तर प्रदेश फार्मेशी कौंसिल, लखनऊ

पता - द्वितीय तल, लेखराज मार्केट-2, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226012

पत्रांक : यू.पी.पी.सी./4658

लखनऊ, दिनांक : 06.06.2022

सूचना

उत्तर प्रदेश फार्मेशी काउन्सिल मैनुअल कार्य प्रणाली को ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदनकर्ताओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने अभिलेखों की स्कूटनी एवं फार्मेशी योग्यता सम्बन्धी प्रपत्रों पर मोहर लगाने की पूर्व प्रचलित व्यवस्था को जन हित में तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। यह व्यवस्था प्रकाशन की तिथि 07.06.2022 से लागू हो जायेगी।

समस्त आवेदक आवेदन के सापेक्ष पंजीयन या अन्य प्रदान की जा रही सेवाओं की स्थिति अपनी लॉग-इन आईडी के माध्यम से काउन्सिल की वेबसाइट uppc.in पर स्वतः देख सकते हैं।

(रजिस्ट्रार),

उ०प्र० फार्मेशी कौंसिल, लखनऊ